

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :- 169/2021

1. अतुखां पुत्र जिंदनखां जाति मुसलमान निवासी 2 एएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा०-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर.एक्ट

अतुखां पुत्र जिंदन खां मुसलमान साकिन 2 एएलएम ने प्रा०पत्र पेश किया कि चक 2 एएलएम का मु०नं० 142/45,142/46, 142/54,142/55,142/61,142/62 कुल 20.2319 है० में से 1/4 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज है।

प्रार्थी का कहना है कि रिकॉर्ड में उसका नाम अलामोहम्मद और उसके पिता का नाम जिनण खां दर्ज हो गया है जबकि सही नाम अतू खां पुत्र जिंदन खां है। 40 केवाईडी सरपंच, हल्का पटवारी मांगीलाल और सहखातेदारा हसन खां पुत्र दायम खां द्वारा उपरोक्त तथ्य की तस्दीक की गई इसलिए धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विवादित आराजी के रिकॉर्ड में अलामोहम्मद की जगह अतूखां उर्फ अलामोहम्मद और जिनण खां की जगह जिनण खां उर्फ जिंदनखां दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

